मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

"MAPSERCOM"

रेसीडेन्सी एरिया, डेली कॉलेज रोड,
दूरभाष : 2701624, 2702979
FAX - 2701079
email - secretarypsc-mp@nic.in
soexam8psc@mp.gov.in

क्रमांक 11488 से 11495 / 02 / 2021 / प–8

इन्दौर, दिनांक 18.03.2021

प्रति,

1. आयुक्त,
संभागायुक्त कार्यालय,
(1) इंदौर संभाग (2) भोपाल संभाग (3) जबलपुर संभाग, (8) शहडोल

2. कलेक्टर,
कलेक्टर कार्यालय,
(4) जिला ग्वालियर (5) छिन्दवाड़ा, (6) रतलाम, (7) सतना (म.प्र.)

विषयः– कोविड अभ्यर्थियों के संबंध में आयोग के दिशा निर्देश।

संदर्भः– 01. आयोग का निर्णय दिनांक 15.03.2021
02. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. का पत्र कमांक/आई.डी.एस.पी./2021/321, दि. 18.03.2021

----

01. एक शहर के कोरोना पॉजिटिव समस्त परीक्षार्थियों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की गाईडलाईन के अनुसार किसी एक परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण कर उपयुक्त पाए जाने पर सभी कोरोना पॉजिटिव परीक्षार्थियों को बैठाने की व्यवस्था की जावेगी। निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में से ही किसी एक ऐसे परीक्षा केन्द्र में एक पृथक कक्ष (आइसोलेशन कक्ष) में परीक्षा संचालित की जाएगी। यह कक्ष ऐसा होना चाहिये कि कोविड–19 से प्रभावित अभ्यर्थियों को सीधे परीक्षा हेतु लाया जा सके। अन्य परीक्षार्थियों को प्रवेश अन्य दूसरे रास्ते से दिया जावेगा। कोविड पॉजिटिव परीक्षार्थी हेतु इस विशेष परीक्षा केन्द्र में उस जिले के कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा आवागमन की व्यवस्था की जावेगी।

02. यदि परीक्षा के दौरान दिनांक 21.03.2021 से 26.03.2021 के बीच भी कोई नया अभ्यर्थी कोविड–19 से संकमित होता है तो उसकी शेष परीक्षाएँ भी ऐसे निश्चित केन्द्र पर ही संपन्न करानी होगी, ऐसे अभ्यर्थी हेतु उनके उपस्थिति पत्रक आदि प्रारूपों की फोटो प्रति निकाल कर संबंधित परीक्षा केन्द्र को भेजी जावेगी। संबंधित अभ्यर्थी को केन्द्र द्वारा वाहन से अन्य केन्द्र पर भेजा जावेगा। तद्नुसार प्रभावित परीक्षा केन्द्रों में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या परिवर्तित की जा सकेगी।

03. कोविड–19 के संकमित सभी परीक्षार्थियों को एक कक्ष में परीक्षा हेतु बैठाया जावेगा। वीक्षकीय कार्य हेतु योग्य चिकित्सक की ड्यूटी लगाई जावेगी। एक नर्सिंग स्टाफ की भी ड्यूटी रहेगी। पी.पी.ई. किट, दस्ताने, मास्क, सेनेटाईजर आदि सामग्री सहित सभी नियमों का पालन करेंगे।

04. कोविड–19 से संकमित अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका को सेनेटाईज कर अलग से लिफाफे में रखी जावेगी। इस लिफाफे पर बड़े अक्षरों में "कोविड–19 संकमित अभ्यर्थी" अवश्य ही लिखा जावे ।

05. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक पृथक कक्ष (आइसोलेशन कक्ष) बनाया जावे ताकि बुखार, सर्दी, खांसी आदि से प्रभावित अभ्यर्थियों को अलग से बिठाया जा सके। ऐसे कक्ष का आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके।

06. प्रत्येक केन्द्र पर थर्मल स्केनिंग मशीन तापमान लेने हेतु रखी जावे।

07. प्रत्येक केन्द्र पर 02 पी.पी.ई. किट अवश्य ही उपलब्ध कराये जावें।

08. ऐसे विशेष पृथक कक्ष हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे/विडियोग्राफी की व्यवस्था अनिवार्यतः करें।

09. ऐसे परीक्षा कक्ष को प्रतिदिन सेनेटाईज किया जाएगा।

10. जिला प्रशासन द्वारा एक बड़े सेनेटाईज UV बॉक्स की व्यवस्था की जावे, जिसमें से सेनेटाईज करने के उपरांत ही ऐसे छात्रों से उत्तरपुस्तिका एवं अन्य परीक्षा सामग्री प्राप्त की जावेगी।

11. कोरोना प्रभावित छात्रों को परीक्षा के एक घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र तक लाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सहयोग से करेगा।

12. भारत सरकार द्वारा जारी, म.प्र. शासन द्वारा जारी एवं जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंध समिति द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन सभी परीक्षा केन्द्रों में सुनिश्चित किया जाए।

13. कोविड परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा प्रभारी को पूर्व में सूचित किये जाने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों मे भी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जाए।

14. सभी उपस्थित परीक्षार्थियों से दिनांक 21.03.2021 को केन्द्र में प्रवेश करते समय संलग्न Self Declaration Form प्रारूप में प्राप्त किया जावे। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा की मध्य तिथियों में भी पॉजिटिव हो जाता है, तो उससे पुनः नया प्रारूप भरवाकर उसे पॉजिटिव परीक्षार्थियों के केन्द्र विशेष पर स्थानांतरित किया जावे। परीक्षार्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु प्रारूप आयोग की वेबसाईट पर भी प्रकाशित किया जा रहा है।

संलग्नः–

01. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश का पत्र, दिनांक 18.03.2021

02. स्व प्रमाणीकरण घोषणा–पत्र।

O/c (डॉ. एम.एल. जैन(गोखरू))
परीक्षा नियंत्रक

18.07.21

म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2019

–:स्व प्रमाणीकरण घोषणा–पत्रः–

Self Declaration Form

कोविड–19 के रोकथाम और नियंत्रण रणनीति के अंतर्गत सभी परीक्षार्थियों को यह घोषणा–पत्र भरना अनिवार्य है।

केन्द्र क्रमांक व केन्द्र का नाम – ....

परीक्षार्थी का नाम – .... अनुक्रमांक ....

पिता/पति का नाम – .... मोबाईल नंबर ....

परीक्षा दिनांक – ....

वर्तमान पता – ....

1. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ एवं मेरे संज्ञान में मैं कोविड–19 से पीड़ित हूँ/नहीं हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। (Corona संक्रमित होने की स्थिति में RTPCR रिपोर्ट संलग्न करें)

2. दिनांक 21 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 के मध्य यदि मैं किसी भी दिवस कोरोना से संक्रमित पाये जाने की स्थिति में मैं परीक्षा केन्द्र/आयोग को तत्काल सूचित करूंगा/करूंगी।

3. ऐसी परिस्थिति में आयोग द्वारा निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

4. यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य पाई गई तो मेरे विरूद्ध ऐपेडिमिक डिसीज एक्ट 1987 के तहत होने वाली कार्यवाही के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक ....

परीक्षार्थी का नाम ....

हस्ताक्षर ....

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2019

आयोजन दिनांक 21.03.2021 से 26.03.2021 तक
एक सत्र में, प्रातः 10:00 से 01:00 बजे तक

स. क.	संभाग/जिले का नाम	परीक्षा प्रभारी	मोबाईल नंबर	लैण्डलाईन नंबर
01	इन्दौर	श्रीमती सपना सोलंकी	94251–90852	**0731-2435111** **कमिश्नर**
02	भोपाल	संजू कुमारी, डीसीआर	96697–37743	**0755-2540399** **कमिश्नर**
03	ग्वालियर	श्री रिंकेश बैस, एसडीएम	97133–89210	**0751-2452800** कलेक्टर
04	जबलपुर	श्रीमती नीता राठौर, उपायुक्त	94248–91654	**0761-2679000** **कमिश्नर**
05	शहडोल	श्री धर्मेन्द्र मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी	94251–74487	**07652-241700** **कमिश्नर**
06	छिन्दवाड़ा	श्रीमती रानी बाटड़, अतिरिक्त कलेक्टर	62614–01550	**07162-242302 07162-244467** कलेक्टर
07	रतलाम	सिराली जैन, एसडीएम	94245–00402	**07412-270400** कलेक्टर
08	सतना	साधना परस्ते, एसडीएम	75879–79302	**07672-222911** कलेक्टर